

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1910, 1911,1912 व 1913/2014/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त प्रतिकरापवंचन, भिवाडी जिला अलवर

...अपीलार्थी

बनाम  
मै. रोहित पैकेजिंग,  
812/एच-85-59,  
इण्डस्ट्रीयल एरिया भिवाडी,  
जिला अलवर

...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ  
श्री राजीव चौधरी, सदस्य  
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

श्री ओ.पी.गुप्ता

अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.09.2018


निर्णय

1. ये चारों अपीलें अपीलार्थी विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण संख्या 223, 224, 225 व 226/सीएसटी/2012-13/उपा/अपील्स/अलवर में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 05.03.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन वृत्त, भिवाडी (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम 1956" कहा जायेगा) की धारा 9 सपटित राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम 2003" कहा जायेगा) की धारा 25 व 55 के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 से 2012-13 (दिनांक 01.04.12 से 17.05.12), की अवधियों से संबंधित पारित अलग-अलग कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.12.12 द्वारा कायम किये गये निम्नांकित कर व ब्याज को अपास्त किया है जिसके विरुद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा ये चारों अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिनका विवरण निम्न तालिकानुसार दर्शाया गया है।

क. सं.	अपील सं.	विभागीय अपील सं.	कर निर्धारण वर्ष	आदेश दिनांक	अधिनियम की धारा	विवादित मांग राशि का विवरण		
						अन्तर कर	ब्याज	कुल मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1910CST /12-13	223CST /12-13	2009-10	12-12-12	9 r/w 26&55	24665	6166	30831
2	1911CST /12-13	224CST /12-13	2010-11	12-12-12	9 r/w 26&55	183114	27467	210581
3	1912CST /12-13	225CST /12-13	2011-12	12-12-12	9 r/w 26&55	176077	17608	193685
4	1913CST /12-13	226CST /12-13	2012-13 (01-04-12 to 17-05-12)	12-12-12	9 r/w 26&55	10504	525	11029

2. उपर्युक्त चारों अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने के कारण इन चारों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। आदेश की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में पृथक-पृथक रखी जावे।


am



लगातार.....2

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, अलवर के निर्देशानुसार सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाडी, द्वारा मय टीम दिनांक 18.05.2012 को प्रत्यर्थी व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण श्री राजपाल विधूडी, फर्म मालिक की उपस्थिति में किये जाने पर पाया कि व्यवसायी फर्म द्वारा थर्मोकोल पैकिंग, थर्मोकोल शीट व थर्मोकोल मॉल्डिंग आईटम्स का विनिर्माण कर राज्य के भीतर व राज्य के बाहर विक्रय किया जाता है। वक्त सर्वेक्षण जांच पर यह भी पाया गया कि व्यवसायी द्वारा उत्पादित थर्मोकोल आईटम्स का अन्तर्राज्यीय विक्रय, राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.12(99)FD/Tax/07-66 दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) के अन्तर्गत रियायती कर दर @ 0.25% का लाभ लेते हुए किया गया है जबकि MSME Act, 2006 की परिभाषा के अनुसार इसमें वे औद्योगिक इकाई आती है जो Industries (Development & Regulation) Act, 1951 की अनुसूची-प्रथम में अंकित वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न हो। चूंकि व्यवसायी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु थर्मोकोल आईटम्स Industries (Development & Regulation) Act, 1951 की अनुसूची-प्रथम में उल्लेख नहीं होने से वह थर्मोकोल आईटम्स की 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) के अन्तर्गत रियायती कर दर @ 0.25% का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है। इसके बावजूद भी व्यवसायी फर्म द्वारा आलोच्य अवधियों में की गई थर्मोकोल आईटम्स की 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) का लाभ लेते हुए उक्त अन्तर्राज्यीय बिक्री पर करदेयता @ 2% के स्थान पर रियायती कर दर @ 0.25% से कर चुकाते हुए @ 1.75% की दर से कर का अपवंचन किया जाना पाये जाने के कारण सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा व्यवसायी फर्म के विरुद्ध वैट कर अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के अन्तर्गत अभियोग बनाकर उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, अलवर के निर्देशानुसार अभियोग पत्रावली सक्षम अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। सक्षम अधिकारी द्वारा अभियोग पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/दस्तावेजों का अवलोकन किये जाने के उपरान्त व्यवसायी फर्म को आलोच्य अवधियों के लिए केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 सपठित धारा 25, 55 व 61 आफ आरवेट एक्ट, 2003 के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया जिसकी पालना में व्यवसायी फर्म की ओर से लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया व MSME Development Institute, Jaipur द्वारा दिये गये Clarification दिनांक 03.07.2012 क्रमांक 1392 की प्रति प्रस्तुत कर नोटिस की कार्यवाही निरस्त किये जाने का निवेदन किया। व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन करने के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि व्यवसायी द्वारा उत्पादित वस्तु थर्मोकोल पैकिंग आईटम्स Industries (Development & Regulation) Act, 1951 की अनुसूची-प्रथम में कहीं पर भी अंकित नहीं है एवं प्रथम अनुसूची के क्र.सं. 12 पर अंकित Miscellaneous

am




लगातार.....3

mechanical and Engineering Ind. के शीर्षक 'Plastic moulded goods' की श्रेणी में व्यवसायी का उत्पाद कवर होना अस्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी के इस तर्क को भी अस्वीकार किया गया कि MSMED Act, 2006 में दिनांक 16.01.2009 को किये गये संशोधन के पश्चात् सभी प्रकार की सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को MSMED Act, 2006 में सम्मिलित कर लेने से उसे राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) के अन्तर्गत रियायती कर दर @ 0.25% का लाभ होगा। अतः इन आधारों पर सक्षम अधिकारी द्वारा पाया गया कि व्यवसायी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) की छूट का पात्र नहीं होने के बावजूद भी उसके द्वारा आलोच्य अवधियों में की गई थर्मोकोल पैकिंग आईटम्स की 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर गलत रूप से रियायती कर दर का लाभ लेते हुए @ 2 % के स्थान पर @ 0.25% से कर चुकाते हुए कर का अपवंचन किये जाने के कारण अपीलार्थी व्यवसायी की आलोच्य अवधियों की थर्मोकोल पैकिंग आईटम्स की 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर @ 1.75% की दर से करारोपण करते हुए इस निर्णय के मुख पृष्ठ पर वर्णित तालिका के कॉलम सं 6 व 7 के अनुसार अन्तर कर व ब्याज आरोपित किया गया तथा व्यवसायी द्वारा जवाब में वैट कर अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित नहीं किये जाने के संबंध में उद्धरित किये गये माननीय विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओं नोटिस में प्रस्तावित वैट कर अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति कार्यवाही को निरस्त करते हुए तालिका के अनुसार कुल मांग कायम की गई जिनके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलें स्वीकार की है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा ये चारों अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।
5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक की ओर से कथन किया गया कि MSMED Act, 2006 की परिभाषा के अनुसार इसमें वे औद्योगिक इकाईयों ही आती हैं जो Industries (Development & Regulation) Act, 1951 की अनुसूची-प्रथम में अंकित वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न हो। चूंकि व्यवसायी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु थर्मोकोल आईटम्स Industries (Development & Regulation) Act, 1951 की अनुसूची-प्रथम में उल्लेख नहीं होने से वह थर्मोकोल आईटम्स की 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) के अन्तर्गत रियायती कर दर @ 0.25% का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है। MSMED Act, 2006 में दिनांक 16.01.2009 को किये गये संशोधन के पश्चात् सभी प्रकार की सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को MSMED Act, 2006 में सम्मिलित नहीं किया है बल्कि MSME की परिभाषा में विस्तार किया गया है जिसके अनुसार Industries (Development &

em



लगातार.....4

Regulation) Act, 1951 की अनुसूची-प्रथम में वर्णित किसी किसी भी उद्योग से उत्पाद के मूल्यांकन की प्रक्रिया (Process) में प्लांट एण्ड मशीनरी का नियोजन करने वाले उद्यम को भी MSME की श्रेणी में माना गया है। इस विस्तारित परिभाषा में उन उद्योगों को भी शामिल किया गया है जो अनुसूची प्रथम में अंकित वस्तुओं के प्रसंस्करण/प्रक्रिया कार्यों में भी संलग्न हो चाहे वे उस वस्तु का उत्पादन नहीं करते हो। अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधिविरुद्ध होने का कथन करते हुए इन्होंने राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का अनुरोध किया।

6. विद्वान अभिभाषक व्यवहारी की ओर से कथन किया गया कि व्यवसायी फर्म द्वारा थर्मोकोल पैकिंग, थर्मोकोल शीट व थर्मोकोल मॉल्डिंग आईटम्स का विनिर्माण कर राज्य के भीतर व राज्य के बाहर विक्रय किया जाता है। व्यवसायी द्वारा उत्पादित वस्तु थर्मोकोल पैकिंग आईटम्स Industries (Development & Regulation) Act, 1951 की अनुसूची-प्रथम में अंकित है एवं प्रथम अनुसूची के क्र.सं. 12 पर अंकित Miscellaneous mechanical and Engineering Ind. के शीर्षक 'Plastic moulded goods' की श्रेणी में व्यवसायी का उत्पाद कवर होता है। इसके अतिरिक्त MSMED Act, 2006 में दिनांक 16.01.2009 को किये गये संशोधन के पश्चात् सभी प्रकार की सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को MSMED Act, 2006 में सम्मिलित कर लेने से उसे राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) के अन्तर्गत रियायती कर दर @ 0.25% का लाभ देय है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत रूप से अपील स्वीकार की है। इन्होंने राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया। इन्होंने अपने समर्थन में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील सं. 383 से 386/2014 मै. हिन्द ट्रेडर्स अलवर बनाम सहायक आयुक्त में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2015, अपील सं. 1566/2012 मै. श्याम इण्डस्ट्रीज गोलूवाला हनुमानगढ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 23.02.2016 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

8. प्रकरण में प्रथम विचारणीय बिन्दु यह है कि व्यवसायी द्वारा उत्पादित वस्तु थर्मोकोल पैकिंग, थर्मोकोल शीट व थर्मोकोल मॉल्डिंग आईटम्स The Industries (Development & Regulation) Act, 1951, की अनुसूची-प्रथम में अंकित है या नहीं। The Industries (Development & Regulation) Act, 1951, की अनुसूची-प्रथम के क्रम संख्या-12 के उप-शीर्षक 1 पर अंकित प्रविष्टि निम्न प्रकार से है :-

12. Miscellaneous mechanical and engineering industry:

(1) Plastic moulded goods.

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक व्यवहारी द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि व्यवहारी द्वारा उत्पादित वस्तु थर्मोकोल पैकिंग, थर्मोकोल शीट एवं थर्मोकोल (प्लास्टिक) मॉल्डिंग आईटम्स Industries (Development & Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम

sm-

लगातार.....5

की प्रविष्टि संख्या-12 में अंकित Miscellaneous mechanical and engineering industry के उप-शीर्षक-1 पर अंकित वस्तु 'Plastic moulded goods' में सम्मिलित होने से अपीलार्थी की इकाई MSMED Act, 2006 में परिभाषित एण्टरप्राइज मानी जावेगी एवं इस आधार पर उसे राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 (यथा संशोधित दिनांक 21.02.2008) के अन्तर्गत उक्त वस्तु की 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर रियायती कर दर 0.25% का लाभ प्राप्त होगा। इस संबंध में Industries (Development & Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम के अवलोकन करने पर उसके क्रमांक-12 पर अंकित मुख्य शीर्षक Miscellaneous mechanical and engineering industry के उप-शीर्षक-1 पर अंकित वस्तु 'Plastic moulded goods' अंकित होना पाया जाता है। इसका तात्पर्य ऐसे प्लास्टिक उत्पाद से है जिन्हें Moulded Machine की सहायता से निर्मित/तैयार किया जावे। इस कसौटी पर अपीलार्थी द्वारा उत्पादित वस्तु थर्मोकोल पैकिंग, थर्मोकोल शीट एवं थर्मोकोल (प्लास्टिक) मॉल्लिंग आईटम्स के संबंध में विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि थर्मोकोल बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में Expandable polymers of Styrene (EPS) Dana काम में लिया जाता है एवं अपीलार्थी द्वारा दर्शायी गई उत्पादन प्रक्रिया के अनुसार कच्चे माल Expandable polymers को सर्वप्रथम Pre-forming Machine में डालकर गर्म किया जाता है तथा Polymers गर्म होने पर उसे विभिन्न साईजों/ढांचों में Expand किया जाता है तत्पश्चात् उसे Air Pressure के माध्यम से Moulded Machine में भेजा जाकर पुनः Steam Boiler से गर्म करने पर यह थर्मोकोल में परिवर्तित हो जाता है। उत्पादन की इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उत्पादित वस्तु 'Plastic moulded goods' है। इसके अतिरिक्त थर्मोकोल के प्लास्टिक एवं उसके आईटम्स होने के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के चैप्टर 39 में अंकित Plastic and items there of के टेरिफ आईटम संख्या: 39031100 पर अंकित Expansible polymers of Styrene एवं टेरिफ आईटम संख्या: 39219010 में अंकित 'Thermocol' (other paltes, sheets, film, foil and strip of plastics) के अवलोकन से भी यही स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अपने उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल EPS Dana एवं उससे निर्मित थर्मोकोल पैकिंग, थर्मोकोल शीट एवं थर्मोकोल (प्लास्टिक) मॉल्लिंग आईटम्स 'Plastic and Plastic moulding items' है। अब प्रश्न यह उठता है कि Industries (Development & Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में अंकित प्रविष्टि सं.-12 के उप-शीर्षक-1 के अनुसार 'Plastic moulded goods' का उत्पादन करने वाली एण्टरप्राइज को ही MSMED Act, 2006 के अन्तर्गत माना जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा उत्पादित वस्तु इसके अन्तर्गत मानी जावेगी अथवा नहीं।

कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ सं. 9 पर व्यवहारी कम्पनी को जिला उद्योग केन्द्र भिवाडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 23.07.2009 उपलब्ध है जिसमें कोड सं. 1 द्वारा एण्टरप्राइज को माइक्रो की श्रेणी में माना गया है व उत्पादन अगस्त 2009 से प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है। पृष्ठ सं. 11 से 17 पर मशीनरी आदि क्रय करने के

am

लगातार.....6

बिल की फोटो प्रतियाँ हैं जिसे मशीनरी आदि बिल दिनांक 12.04.2009 या उसके बाद क्रय किये जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सम्मन एवं पारित आदेशों में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि: अपीलार्थी द्वारा थर्मोकोल पैकिंग, थर्मोकोल शीट एवं थर्मोकोल मॉल्डिंग आईटम्स का उत्पादन एवं विक्रय किया गया है तथा स्वयं सक्षम अधिकारी द्वारा भी माना गया है कि अपीलार्थी द्वारा थर्मोकोल मॉल्डिंग आईटम्स का उत्पादन किया जाता है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य पूर्णरूप से स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी द्वारा उत्पादित वस्तु 'Plastic moulded goods' की श्रेणी में ही आता है, जो कि Industries (Development & Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में अंकित प्रविष्टि सं.-12 के उप-शीर्षक-1 में अंकित वस्तु 'Plastic moulded goods' में सम्मिलित होने से MSMED Act, 2006 के अन्तर्गत मानी जावेगी एवं इस आधार पर अपीलार्थी को उक्त वस्तुओं की 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 (यथा संशोधित दिनांक 21.02.2008) के अन्तर्गत रियायती कर दर 0.25% का लाभ प्राप्त होगा। अपीलार्थी द्वारा दर्शायी गई उत्पादन प्रक्रिया एवं कच्चे माल के रूप में Expandable polymers of Styrene (EPS) Dana का प्रयोग करने एवं इससे उत्पादित माल थर्मोकोल को प्लास्टिक आईटम्स के रूप में ही माना जाने तथा उत्पादन हेतु अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा खरीदी गई मॉल्डिंग मशीन जिसके बिल भी पत्रावली में उपलब्ध है। इन सभी तथ्यों के आधार पर यह स्पष्टतः प्रमाणित हो जाता है कि अपीलार्थी द्वारा उत्पादित वस्तु थर्मोकोल पैकिंग, थर्मोकोल शीट एवं थर्मोकोल (प्लास्टिक) मॉल्डिंग आईटम्स Industries (Development & Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में सम्मिलित वस्तु है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चाहे थर्मोकोल शीट हो अथवा पैकिंग या थर्मोकोल मॉल्डिंग आईटम्स, उक्त सभी प्रकार के उत्पादन प्रक्रिया में मॉल्डिंग मशीन का प्रयोग किया जाना अति-आवश्यक है एवं बिना मॉल्डिंग मशीन के अपीलार्थी द्वारा उत्पादित कोई भी आईटम तैयार नहीं हो सकता है। अतः उक्त आधार पर इस खण्डपीठ की विनम्र राय में अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उत्पादित वस्तु थर्मोकोल पैकिंग, थर्मोकोल शीट एवं थर्मोकोल (प्लास्टिक) मॉल्डिंग आईटम्स निश्चित रूप से Industries (Development & Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में अंकित प्रविष्टियों के क्रमांक-12 के उप-शीर्षक-1 पर अंकित वस्तु 'Plastic moulded goods' की श्रेणी में आती है एवं इस आधार पर अपीलार्थी की इकाई को MSMED Act, 2006 के अन्तर्गत micro and Small Enterprise की श्रेणी में माना जावेगा।


9. विचाराधीन प्रकरणों में द्वितीय विवादित बिन्दु यह है कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उत्पादित वस्तु थर्मोकोल पैकिंग, थर्मोकोल शीट व थर्मोकोल मॉल्डिंग आईटम्स पर MSMED Act, 2006 में दिनांक 16.01.09 को किये गये संशोधन के पश्चात क्या इस प्रकरण में अधिसूचना दिनांक 14.02.08 की छूट प्राप्त होगी ? इस संबंध में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील सं. 383 से

386/2014 मै. हिन्द ट्रेडर्स अलवर बनाम सहायक आयुक्त में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2015, अपील सं. 1566/2012 मै. श्याम इण्डस्ट्रीज गोलूवाला हनुमानगढ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 23.02.2016 में यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया है कि संशोधन दिनांक 16.01.2009 के आधार पर ऐसे प्रकरणों में अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 का लाभ प्राप्त होगा। यदि व्यवहारी द्वारा उत्पादित एवं बिक्रीत वस्तु Industries (Development & Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में अंकित प्रविष्टियों में शामिल नहीं भी मानी जाये तो भी संशोधित अधिसूचना दिनांक 16.01.2009 के अनुसार यह वस्तु अनुसूची प्रथम में अंकित वस्तु 'Plastic moulded goods' की प्रसंस्करण/प्रक्रिया कार्यो में संलग्न तो मानी ही जायेगी जिससे इस अधिसूचना का लाभ व्यवहारी को प्राप्त होगा।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

( नरेश्वर )  
सदस्य

  
20/09/18  
( राजीव चौधरी )  
सदस्य